

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष
2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु
वर्ष 2025-26 का
वार्षिक कार्यक्रम

वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं	कार्य विवरण	क्षेत्र	पत्राचार का अपेक्षित प्रतिशत	
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	'क' क्षेत्र	1. 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 70% 100%
		'ख' क्षेत्र	1. 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90% 90% 60% 90%
		'ग' क्षेत्र	1. 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	60% 60% 60% 60%

अन्य मदें

क्र.सं	अन्य मदें	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय ।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों जिनमें कम्प्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%

12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही 01 बैठक) वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही 01 बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो ।	45%	35%	25%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए।		
